

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सरगुजा, अम्बिकापुर (छ0ग0)

—:: आदेश ::—

क्रमांक 65 एस डब्ल्यू/2020/

अम्बिकापुर दिनांक 26/07/2020

सरगुजा जिले के नगर पंचायत क्षेत्र लखनपुर में प्रतिदिन लगातार कोरोना पाजिटिव मरीज चिन्हित किये जा रहे हैं आज दिनांक तक सरगुजा जिले में कुल 206 तथा तहसील लखनपुर में 14 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान की जा चुकी है। यह संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छ0ग0 शासन द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार कोरोना पाजिटिव केस पाये जाने वाले क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन बनाये गये हैं तहसील लखनपुर में आज दिनांक तक 07 कन्टेनमेंट जोन बनाये जा चुके हैं जिसमें पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है अतः यह आवश्यक है कि इस संक्रामक बीमारी के प्रसार को रोकने हेतु तत्काल आवश्यक कदम उठाये जायें स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है की कोरोना वायरस (COVID-19) के सम्पर्क में पीडित संदेही को दूर रहने की सख्त हिदायत है छ0ग0 शासन द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे। कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है, अतएव उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु नगर पंचायत क्षेत्र लखनपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाता है।

अ. महामारी रोग अधिनियम, 1897 के संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्र0-एफ1-26/2020/17-1, दिनांक 13.03.2020 के अन्तर्गत दिये गए शक्तियों को प्रयोग में लाते हये जिला सरगुजा के नगर पंचायत क्षेत्र लखनपुर सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत संक्रमण के बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपात कालिन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु दिनांक 28.07.2020 रात्रि 12:00 बजे से दिनांक 04.08.2020 रात्रि 12:00 बजे तक निम्नांकित गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

ब. यह आदेशित किया जाता है कि—

1. नगर पंचायत क्षेत्र लखनपुर के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय/ अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से शासकीय कार्यों का निष्पादन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे।
2. नगर पंचायत क्षेत्र लखनपुर के समस्त सार्वजनिक सेवाएँ जिसमें निजि बसें, टेक्सी, आटो रिक्शा, बसे, ई-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल है के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसे निजि वाहन जो इस आदेश के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन एवं परिवहन का कार्य कर रहे हैं उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी।



क्रमश.....02

3. नगर पंचायत क्षेत्र लखनपुर में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर सभी सीमाओं को एतद् द्वारा सील किया जाता है सिर्फ वाणिज्यिक कार्गो (Commercial Cargo) परिवहन की अनुमति ही इस प्रतिबंधित क्षेत्र में होगी।
4. नगर पंचायत क्षेत्र लखनपुर की सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हाट-बाजार आदि अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगे।
5. नगर पंचायत क्षेत्र लखनपुर के अन्तर्गत आने वाले फैक्ट्री निर्माण कार्य एवं श्रम कार्य संचालित करने वाली इकाईयों को निम्न शर्तों के अधीन छूट रहेगी :-
 - क- यथासंभव श्रमिकों के रहने की व्यवस्था फैक्ट्री/इकाईयों के अंदर करनी होगी।
 - ख- आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारियों के परिवहन की व्यवस्था फैक्ट्री/इकाईयों को स्वयं करनी होगी।
 - ग- संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु जारी समस्त निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करना होगा।
 - घ- इन इकाईयों से घनात्मक मरीजों की पहचान होने पर ईलाज पर होने वाले समस्त व्ययों का वहन इन इकाईयों को ही करना होगा।
6. ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत स्थित फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाले संस्थान/इकाईयों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।
7. सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।
8. विदेश से आने वाले सभी नागरिक/अन्य राज्यों से आये हुए नागरिक जो Home Quarantine की निगरानी में रखे गये हैं, उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित Quarantine की अवधि का कड़ाई से पालन करेंगे। इसमें किसी प्रकार की चूक होने पर उनके विरुद्ध भा.द.स. 1860 की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
9. सभी नागरिक अपने घर में रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे। किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्रायवर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया जाता है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा।

स. फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल/फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय-समय पर छ0ग0 शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने की शर्त पर आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले निम्नलिखित कार्यालय/प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंधों को बाहर रखा जाता है।

1. तहसील, नगर पंचायत, थाना एवं चौकी। ये सभी कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे। उपरोक्त शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना आगन्तुकों का प्रवेश नहीं होगा।
2. पंजीयन कार्यालय (ऐप-पास के माध्यम से प्राप्त निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर)।

3. भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय।
4. कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी।
5. स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अन्तर्गत सभी अस्पताल, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं)।
6. दवा दुकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन।
7. खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें।
8. ठेले पर एक स्थान से दूसरे स्थान जा-जाकर फल सब्जी विक्रय करने वाले व्यक्तियों को विक्रय करने की अनुमति प्रातः 10:00 बजे तक होगी।
9. स्थायी दुकानों/स्थानों पर विक्रय करने वाले व्यक्तियों को फल, सब्जी, दूध, ब्रेड, चिकन, मटन, मछली एवं अण्डा के विक्रय/वितरण/भण्डारण/परिवहन संबंधी गतिविधियों की अनुमति प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक होगी।
10. दुग्ध संयंत्र (मिल्क प्लांट)।
11. घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 06:00 बजे से 09:30 बजे तक एवं सायं 05.00 बजे से 6.30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
12. मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, ए.टी.एम. वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें/सेवायें, जो इस आदेश में उल्लेखित हो, को परिवहन करने वाले वाहन।
13. बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचड़े का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है।
14. अग्निशमन सेवायें।
15. ए.टी.एम.।
16. टेलीकॉम/इंटरनेट सेवायें/आई.टी. आधारित सेवायें।
17. पेट्रोल/डीजल पंप एवं एल.पी.जी./सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं भंडारण के गतिविधियों की अनुमति प्रातः 6.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक होगी।
18. पशु चारा।
19. पोस्टल सेवायें।
20. खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति।
21. टेक अवे/होम डिलीवरी रेस्टोरेंट/पूर्व से विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवायें।
22. सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित)।
23. अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बायलर आदि हों), सीमेंट, स्टील, शककर, फर्टिलाईजर एवं खान (Mines)। ये सभी संस्थान न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थाओं के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे।



24. न्यूनतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन में सम्मिलित एजेंसियों सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल एजेंसियां इसमें मण्डी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मण्डियां भी शामिल हैं।

25. प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मिडिया।

26. राज्य शासन द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा।

द. नगर पंचायत क्षेत्र लखनपुर के नगरीय सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंकों के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं—

1. सभी बैंक अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/ अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थाओं के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों को अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे।

2. सभी बैंकों के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामूहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं करायी जावेगी।

3. सभी बैंक अपने संस्थान में एक समय में अधिकतम 05 ग्राहकों को ही प्रवेश देंगे।

4. बैंक द्वारा संचालित ए.टी.एम. में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।

5. बैंक खोलने की अनुमति अपराह्न 03.00 तक होगी।

ई. निजी प्रतिष्ठान, जो कंडिका- स, में वर्णित गतिविधियों के लिए वांछनीय है एवं COVID-19 के रोकथाम के प्रयासों से संबंधित हैं, खुले रहेंगे। ऐसे सभी प्रतिष्ठान निर्धारित स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

उ. (1) उपर्युक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दण्डनीय होंगे।

(2) उपर्युक्त वर्णित गतिविधियों में संशय उत्पन्न होने पर जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

ऊ महामारी रोग अधिनियम, 1897 एवं इसके संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1-26/2020/17-1, दिनांक 13.03.2020 के संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए यह आदेश जारी किया जा रहा है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(संजीव कुमार झा)

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
सरगुजा अम्बिकापुर

अम्बिकापुर, दिनांक 26/07/2020

पृ० क्रमांक 66 /एस०डब्ल्यू०/2020
प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ०ग० शासन, गृह (पुलिस) विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. सचिव, छ०ग० शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. आयुक्त सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर।

क्रमश.....05

4. पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा रेंज, अम्बिकापुर।
5. पुलिस अधीक्षक, सरगुजा, अम्बिकापुर।
6. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, उदयपुर जिला सरगुजा।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सरगुजा, अम्बिकापुर।
8. तहसीलदार/नायब तहसीलदार, सर्व अनुभाग उदयपुर।
9. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, लखनपुर जिला सरगुजा।
10. सहायक संचालक, जन सम्पर्क, अम्बिकापुर को प्रेस विशिष्ट के माध्यम से प्रकाशनार्थ।



कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
सरगुजा अम्बिकापुर